तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.1.21	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित है। बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गयी। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराकर प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि पर उनका नाम प्रेमचंद के स्थान पर रूपचंद दर्ज करने का निवेदन किया। बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र के तथ्य, वांछित अनुतोष, जवाब तहसीलदार, एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की प्रतियों पर सम्यक विधिसंगत विचार किया गया। प्रार्थी द्वारा ग्राम कुरलिया की भूमि हाल जमाबंदी संवत 2072-75 के खाता नं० 77 पर दर्ज खसरा नम्बर 240, 248, 452, 453 पर दर्ज नाम प्रेमचंद को रूपचंद सही दर्ज करने का निवेदन किया है। इस क्रम में जवाब सरकार का अवलोकन किया गया। जवाब में अंकित किया गया है, कि रिकार्ड में कोई लिपिकीय त्रुटि नहीं है। संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया। सं. 2068-71 की जमाबंदी में भी बालचंद, लालचंद, रूपचन्द, प्रेमचन्द, गुलाबचंद s/o जयनारायण की दर्ज है। इं. नं. 209 दि. 23/5/14 से नरसीबाई का नाम खाते से खारिज	

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुए
	किया गया है।	
	प्रार्थी द्वारा सहखातेदारी के बजाय सहखातेदारान् को पक्षकार नहीं बनाया है।	
	प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में जैसे राशनकार्ड नं. 15284, ग्रा.पं. कुकेला, मोटर पहचान पत्र नं. MRR/1618024 जारी दि. 15.2.18, आधार कार्ड नं. 4636,7638,2892 बैंक डायरी C.B.I. कुकेला में रूपचन्द S/O अयनाथ खटीक दर्ज है।	
	प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह प्रमाणित होता है, कि प्रार्थी का नाम पूर्व में भूमि पर रूपचंद दर्ज था, जिसे बन्दोबस्त या राजस्व कार्मिकों द्वारा प्रेमचंद दर्ज कर दिया है।	
	जवाब सरकार में भी प्रार्थी के कथनों से सहमति प्रदत्त नहीं की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण वर्णित भूमि के हितबद्ध पक्षकारों अर्थात सहखातेदारान् को भी पक्षकार नहीं बनाया है।	
	प्रार्थी यह प्रमाणित करने में पूर्णतया असफल रहा है, कि भूमि के रिकार्ड में इस प्रकार की लेखकीय त्रुटि	

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	शामिल हुई हो, जिससे उसके हित प्रभावित हो रहे हो या रिकार्ड में किसी प्रकार का विधिविरुद्ध फेरफार किया गया हो। धारा 136 L.R. Act 1956 में मात्र रिकार्ड की लेखकीय त्रुटियों को ही दुरुस्त किया जा सकता है। प्रकरण में प्रार्थना पत्र के अनुतोष से हितबद्ध पक्षकार अर्थात अप्रार्थी भी सहमत नहीं है अन्य हितबद्ध सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया, लिहाजा उनका पक्ष नहीं जाना जा सका। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अनुतोष धारा 136 L.R. Act के अन्तर्गत प्रार्थी को दिया जाना विधिसंगत नहीं पाया जाता है प्रा० का अनुतोष 136 L.R. Act 1956 में गवर्न नहीं होता है। अतः गुणावगुण के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21.1.2021 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। (देशल दान) I.A.S. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	